


17/11/23

पताली प्रान्त/ अधिवक्ता अपीमांर अमुदस्थित
 श्री हांगामाम वार वरीम रेंत्यां०/३की और तें उपस्थित
 वरीम रेंत्यां०/३के सािक 5/1/23 का
 पार्थनापत्र प्रान्त वर पताली के रेंत्यां० 3-यांडी पुनी
 के.ए.राय का सािक 15/4/22 का (विगविह हां पाने
 वरीम अपीमांर द्वारा गारुपामा श्री कर्वादि)
 लम्बावधि में लघी कराने ले अपीम अवेट के
 निरस्त करने का अग्रबंध किया गया. पार्थनापत्र
 पताली में शामिल है)

अने अधिवक्ता रेंत्यां०/३द्वारा प्रान्त
 पार्थनापत्र एवं पताली का अवलोकन किया गया
 स्पष्टित में वरीम अपीमांर द्वारा रेंत्यां० 3की
 गारुपामा लम्बावधि में लघी कराने उक्त अपीम
 को अवेट के निरस्त करना के उचित लक्ष्य है।
 अतः वरीम रेंत्यां०/३द्वारा

प्रान्त पार्थनापत्र सािक 5/1/2023 स्वीकार
 किया जाकर अपीम के दिनां 7/2016 के
 वरीम अपीमांर द्वारा रेंत्यां० 3 की गारुपामा
 लम्बावधि में लघी कराने ले उक्त अपीम
 अवेट हां पाने ले निरस्त की जाती है।

पताली फौजम हां (नम्बर
 ले वर श्री पार)


 राजपुत्र अपाला प्राधिकाारी
 जिला नगर